A-①/A

①

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।

सेवा में,

प्रबन्धक
डिवाइन पब्लिक स्कूल, पडरी बुजुर्ग(शिवनगर)
क्षेत्र–सदर,जनपद–महराजगंज।

पत्रांक:अर्थ / 873-77 / 2008–09 / दिनांक 19/5/08

विषय–प्राथमिक विद्यालय की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में जनपदीय मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय के प्राथमिक स्तर की अस्थायी शासनादेश संख्या–230 / 15–6–96718एस(7)दिनांक:–18.1.96 एवं शासनादेश संख्या–1873(1)15–6–96 के कम में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सत्र 2007–08 से प्रदान की जाती है।

1– परिषदीय पाठ्यक्रमानुसार ही शिक्षा दी जाय।

2– अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति मान्य नहीं है। अर्ह अध्यापकों की नियुक्ति, अनुमोदन चालू सत्र में करा दिया जाय।

3– अवैधानिक कक्षायें संचालित न की जायें।

4– बिना पूर्वानुमति के कोई भी कक्षा उपवर्ग बन्द व समाप्त, स्थानांतरित न किये जायें। नियमानुसार पॉच वर्ग अनुमन्य होंगे।

5– विभागीय नियमों के अनुसार शिक्षण शुल्क का लेखा–जोखा रखा जाय।

6– इस कार्यालय की अनुमति के बिना किसी अर्ह, प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवा समाप्त नहीं की जायेगी।

7– विभागीय नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन तथा अनियमित कार्यों की दशा में मान्यता निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

8– स्थायी मान्यता प्राप्त करने हेतु पॉच वर्ष के अन्दर लिखित सभी शर्तों को पूरा करते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

भवदीय

(डा0आर0एच0प्रसाद)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।
19/5/08

पृ0सं0:अर्थ / / 2008–09– तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– जिला समाज कल्याण अधिकारी, महराजगंज।

2– जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी / जिला विकलांग / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद–महराजगंज।

3– उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, महराजगंज।

4– संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद–महराजगंज।

(डा0आर0एच0प्रसाद)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।

① A-1/B

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।

सेवा में,

प्रबन्धक
डिवाइन पब्लिक स्कूल, पडरी बुजुर्ग(शिवनगर)
क्षेत्र- सदर,जनपद-महराजगंज।

पत्रांक / 9059-64 /2009-10/ दिनांक 31/12/09

विषय-अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय (कक्षा-6 से 8 तक) की अस्थायी मान्यता प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में शासनादेश संख्या1646/15-6-97-16 एस0(7)/89 दिनांक 13.03.97 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जू0हा0स्कूल की अस्थायी मान्यता हेतु गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को (कक्षा-6 से 8 तक के विद्यालय की अस्थायी मान्यता आदेश निर्गत होने की तिथि से नीचे अंकित निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है। इस प्रकार विद्यालय में कुल 03(तीन) वर्ग अनुमन्य होंगे। अतिरिक्त उप वर्ग की अनुमति तथा कक्षा संचालन हेतु पृथक से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। विद्यालय में प्र0अ0 सहित कुल पॉच अध्यापक/अध्यापिका, एक लिपिक, एक अनुचर मान्य होंगे। चार शिक्षकों में एक भाषा एवं एक विज्ञान गणित शिक्षक नियुक्त करना अनिवार्य है। विभागीय/शासकीय आदेशो एवं निर्देशों की अवहेलना करने एवं तथ्यों को छिपाने पर मान्यता प्रत्याहरण करने का अधिकार बेसिक शिक्षा संहिता से उल्लिखित सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

प्रतिबन्ध-

1.विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्य पाठ्य पुस्तक से भिन्न पाठ्क्रम में न तो शिक्षा दी जाएगी, और न ही अन्य पाठ्य पुस्तके प्रयोग की जाएगी।

2.विद्यालय में राष्ट्रीय गीत/राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।

3.प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिका ही रखे जाये। बिना बे0शि0अधि0 की अनुमति के न तो शिक्षक रखे जायेगें, न निकाले जायेगे।

4.विद्यालय में प्राथमिक पाठशाला चलाया जाना सर्वथा अमान्य व अवैध माना जायेगा।

5.शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को परिषद् के समान वेतन महंगाई भत्ता आदि देय होगा।

6.विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।

7.शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरो के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालय के समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। जिसको डाकघर राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जायेगा।

8.विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जाएगा।

9.सभी शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का अनुमोदन 06 माह के अन्दर कराना अनिवार्य है।

भवदीय

(डा0आर0एच0प्रसाद)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज। 31/12/09

पृ0सं0/ /2009-10 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, महराजगंज।
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, महराजगंज।
5. संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद-महराजगंज।

(डा0आर0एच0प्रसाद)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।